दिनांक 03.03.2023
प्रेस विज्ञप्ति 03/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कौशम्बी/थाना कौशाम्बी</u>

- **25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चॉदी के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि**
- **02 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 02/03.03.2023 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दुल्हनिया तिराहे के पास से 02 अभियुक्तों 1–डीके 2–गुण्डा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे/निशादेही से चॉदी के आभूषण, 02 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कौशाम्बी पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त डीके के विरूद्ध जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–डीके निवासी बरई बंधवा थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

2–गुण्डा निवासी बरई बंधवा थाना करारी जनपद कौशाम्बी।

<u>बरामदगी</u>

1–चॉदी के आभूषण।

2–02 मोटर साइकिल।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना छपार

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 13 लाख 77 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 03.03.2023 को थाना छपार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–दीपक 2–अजय को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 13 लाख 77 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 28.02.2023 को थाना छपार क्षेत्रान्तर्गत चोरों द्वारा गाड़ी से कैश चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना छपार पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना छपार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी चुडियाला थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

2–अजय निवासी हद्दीपुर थाना कलियर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–चोरी के 13 लाख 77 हजार रूपये नगद।

जनपद सहारनपुर/थाना नागल

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी/धोखाधड़ी के 01 लाख 48 हजार रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन**
- **फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 कार, 03 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद**

दिनांक 02.03.2023 की रात्रि थाना नागल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौजली मार्ग से बडौली की तरफ जा रही सड़क पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही

में 03 अभियुक्तों 1–भावेश 2–अब्दुल 3–सिन्टू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी/धोखाधड़ी के 01 लाख 48 हजार रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस, 01 कार, 03 फर्जी नम्बर प्लेट आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया जनपद सहारनपुर, सीतापुर व लखनऊ में पंजीकृत चोरी/धोखाधड़ी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नागल पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–भावेश निवासी स्वर्ण भूमि काम्पलैक्स थाना खारगर जनपद नवी मुम्बई महाराष्ट्र।

2–अब्दुल निवासी अमीलो थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

3–सिन्टू निवासी पिपरा थाना राम कृष्णानगर जनपद पटना बिहार।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी/धोखाधड़ी के 01 लाख 48 हजार रूपये नगद।

2–05 मोबाइल फोन।

3–फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर, जीवित/खोखा कारतूस।

5–01 कार, 03 फर्जी नम्बर प्लेट आदि।

<u>जनपद जालौन/थाना कोतवाली जालौन</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधड़ी के 02 लाख रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02.03.2023 को थाना कोतवाली जालौन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चार नम्बर चुंगी पुलिया के पास से 02 अभियुक्त

1–अजय 2–विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधड़ी के 02 लाख रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली जालौन क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा धोखाधड़ी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पर धारा 420 भादवि व 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद रूपये धोखाधड़ी की घटनाओ से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अजय निवासी लहरगिर्दखुर्द थाना सीपरीबाजार जनपद झांसी।

2–विजय निवासी लहरगिर्दखुर्द थाना सीपरीबाजार जनपद झांसी।

<u>बरामदगी</u>

1–धोखाधड़ी के 02 लाख रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन।

3–01 मोटर साइकिल।

4–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

<u>कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मधुबन बापूधाम</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 स्कूटी**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02/03.03.2023 की रात्रि थाना मधुबन बापूधाम व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सदरपुर मननधाम रोड पर बन्द पड़े सैंट

पीटर स्कूल के पास चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शिवा घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–एकल उर्फ सन्टी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 स्कूटी, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवा के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग व अभियुक्त एकल उर्फ सन्टी के विरूद्ध कमिश्नरेट गाजियाबाद, दिल्ली प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवा निवासी कुम्हारो वाली गली कस्बा व थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

2–एकल उर्फ सन्टी निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1–चोरी की 01 स्कूटी।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना मल्हीपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 पिकअप वाहन**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 03.03.2023 को थाना मल्हीपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इटवा टिकुइया नहर पटरी पर चेकिंग के दौरान पिकअप

सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सोनू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–विनोद कुमार उर्फ विजय 3–रक्षाराम 4–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 पिकअप वाहन, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बहराइच, श्रीवास्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के डेढ़ दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मल्हीपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सोनू निवासी दिन नामगढ़ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

2–विनोद कुमार उर्फ विजय निवासी गिदरहिया थाना कोतवाली बलरामपुर देहात जनपद बलरामपुर।

3–रक्षाराम निवासी तकिया गोपालपुर थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

4–राजू निवासी दिन नामगढ़ थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

<u>बरामदगी</u>

1–01 पिकअप वाहन।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

➢ **<u>जनपद हरदोई (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 01 करोड़ 20 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस ने अभियुक्त 1–मो0हसीफ उर्फ छोटे गाजी उर्फ हनीफ उर्फ हसीब 2–मुनीर पुत्रगण स्व0रहीस निवासी साखिन थाना टडियावां जनपद हरदोई द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 01 करोड़ 20 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे/एफटीसी जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सूरज उर्फ विद्याराम को सश्रम आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पे0 न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शंकर लाल को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सीतापुर/थाना सिधौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 55 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सीतापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या–14 जनपद सीतापुर द्वारा थाना सिधौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 55 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।